




डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)


सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय
आगरा।

महोदय/महोदया,

जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्र सख्या C2183 दिनांक 15/01/2025 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जिन महाविद्यालयों में B.Ed पाठ्यक्रम संचालित है। एवं उनके छात्रों द्वारा वर्ष 2024-2025 के लिये समाज कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन किया है। उनका डेटा विश्वविद्यालय स्तर से अग्रसारित किया जाना है। कृपया तत्काल विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति के कार्यालय में महाविद्यालय स्तर से अग्रसारित डेटा की प्रतिलिपि सलग्न प्रारूप में भरकर 22/01/2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा महाविद्यालय स्तर ज़िम्मेदार होगा।


नोडल अधिकारी 17/1/25


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. जिला समाज कल्याण, अधिकारी आगरा।
2. एजेन्सी-2023 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय के लॉगिन आई0डी0 पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाईल।


कुलसचिव

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/निदेशक
बी०एड०/आई०टी०आई० संस्थाएँ,
जनपद आगरा।

पत्रांक सी०क०/2024-25

दिनांक 15/11/2025

विषय: वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शारानादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक सी-2384/स०क०/शिक्षा-अ/3/372/2022-23 दिनांक 01.11.2022, जो जिलाधिकारी महोदय आगरा को सम्बोधित है एवं अघोहस्ताक्षरी के पत्रांक सी-2152 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं कि "बिन्दु संख्या-03 में ऐसे चिन्हित संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने से पूर्व पाठ्यक्रम वार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रवेश लेने वाली तथा 1 करोड़ रुपया या उससे अधिक की शुल्क प्रतिपूर्ति की माँग करने वाली निजी क्षेत्रीय संस्थाओं का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जायें"

उक्त प्रकरण में आपको अवगत कराना है कि नीचे अंकित प्रारूप के अनुसार बी०एड०/आई०टी०आई० के छात्र/छात्राओं की सूची तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सत्यापन अधिकारी द्वारा जॉच कराकर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यदि आप द्वारा डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

वर्ष 2024-25

क०सं०	आवेदन सं०	कुल सीटों की सं०	छात्र का नाम	मोबाइल नं०	वर्तमान पता	स्थायी पता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

भवदीय

(जी०आर० प्रजापति)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या व तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आगरा।
4. कुल सचिव, डॉ० बी०आर० आंग्वेडकर/संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशि०/शिशु०), आगरा मण्डल, आगरा को इस आशय के साथ कि आप भी अपने स्तर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक, समाज कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
आगरा।



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय
आगरा।

महोदय/महोदया,

जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्र सख्या C2183 दिनांक 15/01/2025 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जिन महाविद्यालयों में B.Ed पाठ्यक्रम संचालित है। एवं उनके छात्रों द्वारा वर्ष 2024-2025 के लिये समाज कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन किया है। उनका डेटा विश्वविद्यालय स्तर से अग्रसारित किया जाना है। कृपया तत्काल विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति के कार्यालय में महाविद्यालय स्तर से अग्रसारित डेटा की प्रतिलिपि सलग्न प्रारूप में भरकर 22/01/2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

नोडल अधिकारी 17/1/25

17/01/25
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. जिला समाज कल्याण, अधिकारी आगरा।
2. एजेन्सी-2023 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय के लॉगिन आईडी0 पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाईल।

17/01/25
कुलसचिव